



रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-3300

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—यह नियम 50—200 किलोहर्ट्ज आवृत्ति बैंड को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) अभिप्रेत है।

(ख) इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त अधिनियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में

4. अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग—तत्समय प्रवृत्त किसी विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, समेकित, समर्पित या बेतार एंटीना (बाहरी एंटीना की दशा में केवल चक्रित एंटीना भी सम्मिलित) पर जिसमें बिना हस्तक्षेप, बिना संरक्षण या सम्मिलित (अनुज्ञप्ति) आधार पर अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियों के उपयोगों जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी बेतार को स्थापित करने, अनुरक्षण करने में, रखने में, अपने पास रखने में या उसे व्यवहार करने में नीचे दी गयी शर्तों में विनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरित शक्तियां या क्षेत्र तीव्रता को सिवाय, कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड के उपयोग के लिए प्रेरणा अनुपयोग के तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरित शक्ति या क्षेत्रतीव्रता सीमा
(1)	(2)
50—59.750 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 72 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 123 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
59.750—60.250	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 93.0 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

561 GI/2009

(1)

किलोहर्ट्ज

डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC

(1)	(2)
60.250- 70 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 69 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 120.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
70- 119 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
119- 135 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 66 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 117.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
135- 140 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
140- 148.5 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 37.7 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 89.2 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
148.5- 200 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 30.0 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 81.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

5. **व्यतिकरण.**—अवाञ्छित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवाञ्छित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे।

परन्तु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अननुज्ञप्तधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा।

6. **उपस्कर.**—(1) जहां अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर या रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों के प्रकार अनुमोदित होंगे, उपर्युक्त नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट

7. शर्तें.—ये नियम,—

- इस आवृत्ति बैंड में किसी प्रकार से अ अधिकारों या विद्यमान प्रक्रियाओं और योजनाबद्ध प्रचालन को प्रभावित नहीं करेंगे;
- जहां केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति है, लागू नहीं होंगे।

[सं. आर-11020/07/2008-

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, (Exemption from License Requirement) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable to the 50-200 KHz frequency band.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 of 1885), and the Indian Wireless Telegraphy Act, (17 of 1933);

(b) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Acts shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

4. Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 KHz frequency band.—

Notwithstanding anything contained in any law

सामाजिक अनुसूचित जातों का विकास और अन्य परामर्श होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और निर्माण किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुप्रयोग प्रारूप बनाएगी जो उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन के अनुरूप के लिए लागू होंगे जो वेबसाइट www.wpc.dot.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

the time being in force, no licence shall be required for any person to establish, maintain, work possess or deal in wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 kHz frequency band, with Integral, Dedicated or External antenna (In case of external antenna, only loop coil or

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

may be employed) on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Radiated Power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Technical characteristics of inductive applications using the following frequency bands

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
50-59.750 kHz	72 dB μ A/m or 123.5 dB μ V/m at 10 metres
59.750-60.250 kHz	42 dB μ A/m or 93.5 dB μ V/m at 10 metres
60.250-70 kHz	69 dB μ A/m or 120.5 dB μ V/m at 10 metres
70-119 kHz	42 dB μ A/m or 93.5 dB μ V/m at 10 metres
119-135 kHz	66 dB μ A/m or 117.5 dB μ V/m at 10 metres
135-140 kHz	42 dB μ A/m or 93.5 dB μ V/m at 10 metres
140-148.5 kHz	37.7 dB μ A/m or 89.2 dB μ V/m at 10 metres
148.5-200 kHz	30.0 dB μ A/m or 81.5 dB μ V/m at 10 metres

5. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be

extracted in the absence of such unwanted energy, by any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is causing harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antenna, including discontinuation of such wireless use, as required :

Provided that, before such discontinuation, the licensee shall be given reasonable opportunity to explain the circumstances and a written reply shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment.

6. Equipments.—

(1) These very low power Radio Frequency wireless devices or equipments or Radio Frequency Identification devices shall be type approved and designed and constructed in such a manner so that the bandwidth, emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4 above.

(2) The application for obtaining equipment approval shall be made to the Central Government in the application format which shall be available on the website www.wpc.dot.gov.in.

7. Conditions.—These rules,—

- do not in any way, affect the licensing or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band;
- are not applicable, wherever specific licence is required from the Central Government.

[No. R-11020/07/2007]

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Ad

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.